

न्यायालय:- अपर सत्र न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

प्रकरण क्रमांक 147/2013 सत्रवाद

मध्य प्रदेश शासन द्वारा पुलिस थाना
मौ जिला भिण्ड म0प्र0।

-----अभियोजन

बनाम

1. अशोक कुमार पुत्र गेंदालाल रजक उम्र 49 वर्ष।
2. गेंदालाल पुत्र रामदयाल रजक उम्र 87 वर्ष।
3. श्रीमती गुड्डी पत्नी अशोक कुमार रजक उम्र 40 वर्ष।
4. श्रीमती गीता पत्नी अशोक कुमार रजक उम्र 25 साल। समस्त निवासी खटीक मोहल्ला वार्ड नम्बर 7 मौ जिला भिण्ड म.प्र.।
5. प्रदीप उर्फ नाना पुत्र जगन्नाथ यादव उम्र 23 वर्ष। निवासी वार्ड न0 14 बेहट रोड मौ जिला भिण्ड म.प्र.।

.....अभियुक्तगण

न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी गोहद कुमारी शैलजा गुप्ता
के न्यायालय के मूल आपराधिक प्र0क्रं0 269/2013 इ0फौ0
से उदभूत यह सत्र प्रकरण क्रं0 147/2013

शासन द्वारा अपर लोक अभियोजक श्री दीवान सिंह गुर्जर।
आरोपी प्रदीप उर्फ नाना द्वारा श्री विजय श्रीवास्तव अधिवक्ता।

शेष अभियुक्तगण द्वारा श्री बी0एस0यादव एवं श्री आर0सी0यादव अधिवक्ता।

//नि र्ण य//

//आज दिनांक 22-04-2015 को घोषित किया गया//

01. आरोपी अशोक का विचारण धारा 366, 458, 354(ख), 325(दो काउंट) बिकल्प में 325/34 (दो काउंट), 342, 506 भाग-2 भा0दं0वि0 के संबंध में, जबकि अन्य आरोपीगण गुड्डी, गेंदालाल, गीता और प्रदीप उर्फ नाना का विचारण धारा 325 बिकल्प में धारा

325 / 34, 342, 506 भाग-2 भा0दं0वि0 के अपराध के आरोप के संबंध में किया जा रहा है। उन पर आरोप है कि दिनांक 21.03.2013 को रात्रि 12:30 बजे से 01 बजे के बीच वार्ड क्रमांक 7 मौ जिला भिण्ड में आरोपी अशोक रजक के द्वारा पीडिता का अपहरण अयुक्त संभोग करने के आशय से यह संभाव्य जाते हुए कि उसे उसके साथ अयुक्त संभोग किया जा सकता है किया गया। उस पर यह भी आरोप है कि सूर्यअस्त के पश्चात् एवं सूर्य उदय के पूर्व अपहृता के घर से उपहति कारित करने या हमला करने या उसे सदोष अवरोध करने की तैयारी के साथ प्रवेश कर प्रच्छन्न गृहअतिचार कारित किया। उक्त आरोपी पर यह भी आरोप है कि अपहृता जो कि एक स्त्री है की लज्जा भंग करने के आशय से उसके कपडे उतारकर उसे नग्न करने के लिए विवश कर आपराधिक बल का प्रयोग किया। आरोपी अशोक पर एवं शेष विचारित किए जा रहे आरोपीगण पर यह भी आरोप है कि उपरोक्त दिनांक समय स्थान पर पीडिता / (अपहृता) तथा उसके पिता अशोक कुमार जैन के साथ मारपीट कर स्वेच्छया गंभीर उपहति कारित की जो कि सामान्य आशय के अग्रसरण में कारित की गई जो कि उनके द्वारा सामान्य आशय का गठन कर उसके अग्रसरण में कार्य करते हुए आहतों को उपरोक्त अनुसार गंभीर उपहति कारित की गई। उन पर यह भी आरोप है कि उपरोक्त दिनांक समय स्थान पर अपहृता पीडिता को कमरे में बांधकर स्वेच्छया ऐसी बाधा डाली जिससे कि वह उस दिशा में जाने का अधिकार है उस निश्चित परिसीमा से परे जाने से निवारित किया जा सके। उन पर यह भी आरोप है कि फरियादी अशोक कुमार जैन को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्राश कारित किया।

02. अभियोजन प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार से है कि अशोक कुमार जैन जो कि वार्ड न0 7 आईडिया टावर के पास मौ में रहता है के द्वारा थाना मौ में इस आशय का एक लेखीय आवेदन पेश किया गया कि उनकी पुत्री अपहृता त्यागी वृति जैन आश्रम अमायन में रहती है। दिनांक 18.03.2013 को वह वहाँ से घर आई थी। उसकी लडकी मानसिक रूप से परेशान थी इस कारण उसे दवाई दी थी। घटना दिनांक 21.03.13 को रात्रि 11:30 बजे तक वह घर में थी। रात को करीब एक बजे शांतीलाल जैन पार्षद के द्वारा बताया गया कि अपहृता उसकी लडकी पीडिता अशोक धोबी के घर में है। जिस पर फरियादी अपने लडके गगन उर्फ आदित्य जैन, पुत्तू सिंह यादव और शांतीलाल जैन को साथ ले जाकर देखने गया था। लडकी अशोक धोबी के घर पर थी, उसके दोनों पैर बंधे थे। लडकी ने बताया कि फरियादिया के अशोक धोबी के घर में होने और उसके साथ मारपीट होने की जानकारी जो कि शांतीलाल जैन के द्वारा दी गई थी, तब उसके पिता अशोक कुमार जैन व भाई गगन भी आ गए तो अशोक धोबी तथा उसके साथ नाना उर्फ प्रदीप भी था उन्होंने आहता को ले जाने

से मना किया और धमकाया कि लडकी को नहीं ले जाओगे तब उनके द्वारा फरियादि अशोक कुमार जैन की भी मारपीट कर चोटें पहुँचाई थी और गाली गलोज कर उसे जान से मारने की धमकी दी गई। पीडिता को शांतिलाल और उसका भाई उसे किसी तरह छुड़ाकर घर ले आये ।

03. अभियोजन प्रकरण में आगे यह भी आया है कि पीडिता को दिनांक 20.03.13 को जब वह अपने कमरे में सो रही थी तभी रात्रि करीब 11:30 बजे उसके घर के पीछे रहने वाला अशोक धोबी उसे उठाकर छत के उपर ले गया और जाल के उपर बैठा दिया तथा छत से उसे पटक दिया। आरोपी अशोक ने उससे झूमाझपटी की और उसे वस्त्र विहीन करने की कोशिश की और कपड़े फाड़ दिये फिर आरोपी अशोक ने उसे उठाकर कर के घर के बाहर स्थिति चूल्हे पर बिठा दिया और उसका मुँह बंद कर दिया जिस कारण वह चिल्ला नहीं पा रही थी। अशोक धोबी का पिता भी खटिया में सो रहा था उसकी आवाज सुनकर वह भी जाग गया फिर अशोक धोबी उसकी दोनों पत्नियाँ तथा उसके पिता ने उसे चारों ओर से घेर लिया और खटिया से नीचे खींचकर तुलसी के पास पटक लिया तथा उसके साथ डंडों से मारपीट की तथा बाल खींचकर उसे खींचा और उसके साथ मारपीट की गयी जिससे उसके शरीर पर चोटें आकर उसके अस्थि भंग भी कारित हुआ । उक्त घटना की लिखित रिपोर्ट आहता के पिता अशोक कुमार जैन के द्वारा थाना मौ में की गई जिस पर से थाना मौ में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 2 दर्ज की गई, पीडिता और उसके पिता अशोक कुमार जैन का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया तथा कार्यपालन मजिस्ट्रेट के द्वारा पीडिता का मरणाशन कथन लेखबद्ध किया गया है। पीडिता को इलाज हेतु जयारोग्य अस्पताल मेडीकल कॉलेज ग्वालियर भेजा गया। विवेचना के दौरान घटना स्थल का नक्शा मौका बनाया गया और फरियादी के दुपट्टे की जप्ती की गई और साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए। प्रकरण की सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोगपत्र न्यायालय में पेश किया गया जो कि माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के आदेशानुसार इस न्यायालय को विचारण हेतु प्राप्त हुआ था।

04. आरोपी अशोक के विरुद्ध प्रथम दृष्टिया धारा 366, 458, 354(ख), 325 विकल्प में 325/34, 342, 506 भाग-2 भा0दं0वि0 तथा आरोपी गुड्डीबाई, गीता, गेंदालाल और प्रदीप उर्फ नाना के विरुद्ध धारा 325 विकल्प में 324/34 342, 506 भाग-2 भा0दं0वि0 का आरोप पाया जाने से आरोप लगाकर पढकर सुनाया समझाया गया। आरोपीगण ने जुर्म अस्वीकार किया उनकी प्ली लेखबद्ध की गई।

05. दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार अभियुक्त परीक्षण किया गया। अभियुक्त परीक्षण में आरोपीगण ने स्वयं को निर्दोश होना बताते हुए स्वयं को झूठा फंसाया

जाना अभिकथित किया है। बचाव पक्ष द्वारा बचाव में प्रधान आराक्षक निहाल सिंह की साक्ष्य पेश की गई।

06. आरोपीगण के विरुद्ध आरोपित अपराध के संबंध में विचारणीय यह है कि:-

1. क्या दिनांक 21.03.13 को रात्रि एक बजे वार्ड क्रमांक 7 मौ जिला भिण्ड में आरोपी अशोक के द्वारा फरियादी अशोक कुमार जैन की पुत्री का अपहरण उसके साथ अयुक्त संभोग करने के लिए विवश या विलुब्ध करने के आशय से यह संभाव्य जानते हुए कि उसे विवश या विलुब्ध किया जाएगा, उसके कमरे से उठाकर ले गया?
2. क्या उपरोक्त दिनांक समय स्थान पर आरोपी के द्वारा अपहृता को उपहति कारित करने एवं हमला कारित करने या सदोश अवरोध कारित करने की तैयारी कर सूर्यास्त के पश्चात् एवं सूर्य उदय के पूर्व घर में प्रवेश कर प्रच्छन्नग्रह अतिचार कारित किया?
3. क्या आरोपी अशोक के द्वारा आहता की लज्जा भंग करने के आशय से उसके कपड़े उतारकर नग्न होने के लिए विवश कर के अपराधिक बल का प्रयोग किया?
4. क्या उपरोक्त दिनांक समय स्थान पर आरोपी अशोक एवं अन्य आरोपी गुड्डीबाई, गीता, गेंदालाल एवं प्रदीप उर्फ नाना के द्वारा आहता एवं फरियादी अशोक कुमार जैन के साथ मारपीट की गई?
5. क्या उपरोक्त आरोपियों या किसी आरोपी के द्वारा स्वेच्छया पूर्वक मारपीट करते हुए पीडिता एवं उसके पिता अशोक कुमार जैन को गंभीर उपहति कारित की गई?
6. क्या उपरोक्त आरोपीगण के द्वारा मारपीट करने का सामान्य आशय निर्मित किर उसके अग्रसरण में कार्य करते हुए उपरोक्त आहतों को स्वेच्छया गंभीर उपहति कारित की?
7. क्या आरोपीगण या किसी आरोपी के द्वारा अपहृता को स्वेच्छया बाधा डालकर उसे सदोष परिरोध कारित किया?
8. क्या आरोपीगण या किसी आरोपी के द्वारा फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्राश कारित किया?

—: सकारण निष्कर्ष:—

बिन्दु क्रमांक 1 लगायत 7 का सकारण निष्कर्ष:—

07. परस्पर जुड़े होने एवं साक्ष्य विवेचना की सुगमता को दृष्टिगत रखते हुए सभी बिंदुओं का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

08. डॉ० हरीश हॉसवानी अ०सा० 5 के अनुसार दिनांक 21.03.13 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मौ में मेडीकल ऑफीसर के पद पर पदस्थ दौरान आहता का चिकित्सीय परीक्षण किया था जिसको कि दाहिने हाथ के चौथे व पांचवे मेटाकार्पल हड्डी में दर्द होना बता रही थी जिसमें कि सूजन उपस्थिति थी, दाहिनी कोहनी से दाहिने हाथ तक कॉफी सारे नील के निशान थे जिसमें कि सूजन थी और दवाने पर दर्द था। नील का निशान लाल रंग का वाई भुजा पर पीछे की तरफ था एवं एक नील का निशान लाल काला तिरछे में जो कि दाहिने नितम्ब पर पीछे की तरफ स्थित था। नील के निशान लाल रंग के जो कि संख्या में चार जो कि पीठ पर वाई तरफ मौजूद थे। दाहिनी जाँघ पर आगे की तरफ नील का निशान, छिलन आगे की तरफ दाहिने घुटने पर थी। नील के निशान संख्या में तीन टखने पर और उसके उपर वाहर की तरफ थी। दाहिनी तरफ की मीडियल मेल्यूलस हड्डी में दवाने पर दर्द था एवं सिर के कुछ बाल टूटे हुए थे, वांए नितम्ब पर दवाने पर दर्द था। अपने अभिमत में उन्होंने बताया है कि आहता को आई हुई सभी चोटें सख्त एवं भौतरे हथियार द्वारा पहुँचाई थी जिसे कि प्राथमिक उपचार देकर एक्सरे एवं उपचार के लिए हड्डी वार्ड ग्वालियर रेफर कर दिया गया था। उसके द्वारा तैयार मेडीकल रिपोर्ट प्र.पी. 6 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

09. उक्त साक्षी के द्वारा अपने साक्ष्य कथन में आगे यह भी बताया है कि उक्त दिनांक को ही उसने आहत अशोक पुत्र शांतिकुमार का मेडीकल परीक्षण किया था जिसे कि दाहिने मेटाकार्पो फेलेन्जियल ज्वाइन्ट में दवाने पर दर्द था, एक छिलन का निशान दाहिनी कोहनी पर पीछे की ओर स्थिति था एवं कमर के निचले हिस्से में बीच में दवाने पर दर्द था। अपने अभिमत में साक्षी के द्वारा बताया गया है कि आहत को आई हुई चोटें सख्त एवं भौतरे हथियार द्वारा पहुँचाई गई थी। आहत को दाहिने अंगूठे और कलाई के लिए एक्सरे की सलाह दी थी। उसके द्वारा तैयार मेडीकल रिपोर्ट प्र.पी. 7 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी के द्वारा इस सुझाव को इन्कार किया है कि पीडिता एवं आहत अशोक जैन को आयी हुयी चोट उनके गिरने से आ सकती हैं।

10. रेडियोलॉजिस्ट डॉ० रितु सोनाद अ०सा० 11 का कहना है कि वह दिनांक 22.03.13 को जे.ए.एच. अस्पताल ग्वालियर में पी.जी. स्टूडेंट रेडियोलॉजिस्ट के पद पर पदस्थ

थी। उसी दिनांक को उसके द्वारा आहत सोनल जैन जिसे कि जे.ए.एच. अस्पताल में भर्ती किया गया उसे एक्सरे के लिए एक्सरे विभाग में लगाया था जिसका एक्सरे उसके द्वारा किया गया था। एक्सरे परीक्षण में आहता के दाएं हाथ की पांचवीं मेटाकार्पल हड्डी के बेस पर फ्रैक्चर था। इसके अतिरिक्त आहता के दाएं पैर की टीविया हड्डी में लोअर एण्ड पर अस्थि भंग पाया गया था। उनके द्वारा तैयार एक्सरे रिपोर्ट प्र.पी. 16 है जिसके ए से ए भाग पर उनके हस्ताक्षर हैं तथा बी से बी भाग पर डॉ० एस.बी.इंगले के हस्ताक्षर हैं एवं एक्सरे प्लेट आर्टिकल ए,बी,सी है। डॉ० शिवसिंह बनेरिया अ०सा० 8 के अनुसार दिनांक 23 मार्च 2013 को जयारोग्य अस्पताल ग्वालियर में माधव डिस्पेंसरी में मेडीकल ऑफीसर के पद पर पदस्थ दौरान आहत अशोक पुत्र शांतिकुमार जैन की कलाई का एक्सरे लिया था। आहत के एक्सरे परीक्षण में उसके प्रोक्सीमल फेलिम्स अस्थि में अस्थिभंग होना पाया गया था। एक्सरे रिपोर्ट प्र. पी. 9 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। एक्सरे प्लेट आर्टिकल ए है।

11. इस प्रकार डॉ० हरीश हॉसवानी अ०सा० 5 के कथन से स्पष्ट है कि पीडिता एवं आहत अशोक कुमार जैन के शरीर में चोटें मौजूद थीं। डॉ० रितू सोनाद के कथन से स्पष्ट है कि पीडिता के हाथ की मेटाकार्पल अस्थि में और पैर की टीविया हड्डी के लोअरएण्ड पर अस्थिभंग होना पाया गया था। डॉ० शिवसिंह कनोरिया अ०सा० 8 के कथन से स्पष्ट है कि आहत अशोक जैन के अंगूठे में अस्थि भंग होना पाया गया था।

12. अब विचारणीय यह हो जाता है कि क्या किसी आरोपी/आरोपीगण के द्वारा पीडिता का अपहरण उसे अवैध संभोग करने के लिये विवश या विलुब्ध करने के आशय से किया गया ? क्या फरियादी के आवासीय मकान में पीडिता को सदोष अवरोध करने एवं उसे उपहति या हमला कारित करने की तैयारी के साथ रात्रि के समय प्रवेश कर रात्रोप्रच्छन्न गृहअतिचार कारित किया ? क्या पीडिता की लज्जा भंग करने के आशय से उसके कपड़े उतारकर नग्न किया गया ? क्या आरोपी/आरोपीगण के द्वारा पीडिता को सदोष परिरोध कारित किया गया ? क्या आरोपी/आरोपीगण के द्वारा पीडिता तथा आहत अशोक जैन की मारपीट कर स्वेच्छया गम्भीर उपहति कारित की ? क्या उक्त मारपीट की घटना हेतु सामान्य आशय का निर्मित कर उसका अग्रसरण में कार्य करते हुये मारपीट की घटना कर स्वेच्छया उपहति कारित की ? क्या आरोपी/आरोपीगण के द्वारा फरियादी अशोक जैन को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?

13. अभियोजन प्रकरण के संबंध में घटना की पीडिता अ०सा० 2 के द्वारा अपने साक्ष्य कथन में आरोपीगण को पहिचानना स्वीकार करते हुए बताया है कि 20 मार्च 2013 की

बात है, वह अपने घर पर कमरे में अकेले सो रही थी। वह बाथरूम करने के लिए कमरे से बाहर आई तो वहाँ उसे दो आदमी खड़े दिखे व उनकी आवाज सुनी, उन लोगों ने उसका मुँह बंद कर दिया और मुँह बंद कर छत पर ले गए और उसे छत से आरोपी अशोक धोबी की छत पर पटक दिया। उसकी हालत बेहोशी की हो गई थी। उसे उक्त दो लोगों के द्वारा अशोक के घर की गैलरी में ले जाया गया, जब वह आदमी चले गए तो आरोपी गेंदालाल की खटिया के नीचे अपने बचाव के लिए छिप गई। इसके बाद उन दो लोगों ने उसके साथ मारपीट करना चालू कर दिया। मारपीट करने में कितने लोग थे एकदम से समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन यह आभास हो रहा था कि दो लोगों के द्वारा मारपीट की जा रही थी। मारपीट के दौरान उसके कपड़े खराब हो गए थे और कपड़े फट गए थे और शरीर से हट गए थे फिर दोनों लोग उसे बाल पकड़ कर खींचकर घसीटकर बाहर चबूतरे पर ले गए और चबूतरे पर ले जाकर उसकी खूब पिटाई की। उसकी पिटाई से उसकी दाँए हाथ में चोट आई थी और हाथ सूज गया था और फ्रेक्चर हो गया था। इसके अलावा पीठ पर नील का निशान आया था उसकी जाँघ, पेर व गुप्तांगों पर भी चोट आई थी और दायां पेर फ्रेक्चर हो गया था। उसके हाथ पेर बंधे हुए थे और दुप्पटा ओढ़कर वह बाहर बैठी हुई थी, वे लोग कह रहे थे कि मिट्टी का तेल लाओ मिट्टी का तेल डालो।

14. उक्त साक्षिया के द्वारा आगे यह बताया गया है कि उसके पापा को पता चला जो कि मोहल्ले के लोग आरोपी अशोक के घर के बाहर इकट्ठे हो गए थे उन्होंने उसके पापा को बुलाया तब उसके पापा और उसका भाई आए थे। उसके पापा उसे घर ले जाना चाह रहे थे तो उसे घर ले जाने से दोनों लोगों ने मना कर दिया था। उसके पापा के साथ भी मारपीट की थी और चोटें पहुँचाई थी एवं उनका भी हाथ फ्रेक्चर हो गया था। आरोपीगण उसके पापा और भाई को रिपोर्ट करने के लिए नहीं जाने दे रहे थे और जान से मारने की धमकी दे रहे थे। फिर उसका भाई घर पर ले आया था। घटना रात के करीब 12 बजे की होगी। घटना की रिपोर्ट करने सुबह उसके पापा गए थे, उसे मौ अस्पताल ले जाया गया था वहाँ उसका इलाज ठीक ढंग से न होने से उसे ग्वालियर अस्पताल इलाज हेतु भेजा गया, उससे घर पर पूछताछ की गई थी और उसका मरणाशन्न कथन लेखबद्ध भी लिया गया था। उसका 15-20 दिन तक ग्वालियर अस्पताल में इलाज चला था। उसके साथ मारपीट की जो घटना की गई थी उसमें वह मारपीट करने वालों को पहिचान गई थी जो कि अशोक धोबी और प्रदीप उर्फ नाना थे, बांकी आरोपीगण उसे खड़े दिखे थे।

15. उपरोक्त संबंध में घटना के रिपोर्टकर्ता एवं अन्य आहत अशोक कुमार जैन अ0सा0 1 ने अपने साक्ष्य कथन में आरोपीगण को पहिचानना स्वीकार करते हुए बताया है कि

दिनांक 20.03.13 को रात्रि 12-01 बजे के समय वह अपने घर पर सो रहा था। उसके पड़ोसी शांतीलाल पार्षद ने बताया कि उसकी बच्ची पीछे है। वह लडकी को देखने गया तो लडकी अपने कमरे में नहीं थी फिर वह शांतीलाल जैन व अपने लडके आदित्य को लेकर वहाँ पहुँचा जहाँ हल्ला हो रहा था। वहाँ पहुँचने के बाद लडकी को घर लाने लगे तो आरोपी अशोक धोबी और प्रदीप उर्फ नाना ने उसकी लडकी को लाने से रोक दिया। बड़ी मुश्किल से पार्षद शांतीलाल जैन एवं उसका लडका उसकी लडकी को उसके घर पर लाए। आरोपी प्रदीप उर्फ नाना ने उसके साथ मारपीट की जिससे बाँए अंगूठा में फ्रैक्चर हो गया था और कमर व दाहिनी कोहनी में चोटें आई थी। वह रिपोर्ट करने के लिए जाने लगा तो आरोपी प्रदीप ने उसे जान से खत्म करने की धमकी दी थी। वह दहशत से रात में घर पर ही रहा सुबह रिपोर्ट लिखाने थाना गया था। थाने पर उसने लेखीय आवेदनपत्र दिया था जो प्र.पी. 1 है जिस पर ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। आवेदनपत्र के आधार पर पुलिस ने प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की जो प्र.पी. 2 है जिस पर भी ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसका कथन लिया था। पुलिस ने उसके पेश करने पर एक दुप्पटे की जप्ती कर जप्ती पत्रक प्र.पी. 4 तैयार किया था जिस पर ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

16. अभियोजन साक्षी गगन जैन उर्फ आदित्य अ0सा0 4 जो कि पीडिता का भाई है के द्वारा अपने साक्ष्य कथन में यह बताया है कि शांतीलाल जैन के द्वारा बताया गया कि लडकी की बाहर दूसरी तरफ आवाज आ रही है। फिर उसने व उसके पिता अशोक कुमार ने छत पर से देखा उसकी बहन (पीडिता) के पेर बंधे हुए थे। आरोपी प्रदीप और अशोक धोबी उसकी बहन को ले जाने से रोक रहे थे। वह और शांतीलाल जैन पीडिता को लेकर घर आए थे। साक्षिया बिमलेश जैन अ0सा0 3 जो कि पीडिता की माँ है के द्वारा भी बताया गया कि शांतीलाल जैन के द्वारा रात के 12 बजे आवाज लगाई गई जब वह जगकर छत पर गई तो बगल के लडके से पूछा कि पीडिता कहाँ है उसके बाद वह जीने से नीचे उतर आई तो उसका लडका गगन पीडिता को लेकर आया और उसने किबाड खोलकर पीडिता को खटिया पर लिटाया। साक्षी के द्वारा यह बताया गया है कि उसकी बेटिया ने उसे कोई बात नहीं बताई थी। उसकी बच्ची की हड्डी टूट गई थी और प्लास्टर चढ़ा था, उसका ग्वालियर में इलाज हुआ था।

17. अभियोजन साक्षी शांतीलाल जैन अ0सा0 9 के द्वारा आरोपीगण को पहिचानना स्वीकार करते हुए बताया है कि रात को 02-02:30 बजे आरोपी अशोक धोबी ने उसे मोबाइल से फोन कर बताया था कि अशोक जैन की लडकी उनके घर पर आ गई है। फिर उसने अशोक जैन को बताया था और अशोक जैन के साथ पुत्तू यादव को लेकर आरोपी अशोक

धोबी के घर पर गये। वहाँ उसने देखा कि पीडिता के पेर बंधे हुए थे, पीडिता अशोक धोबी के मकान के बाहर एक कमरा बना है वहाँ पर बैठी हुई थी और उसके पेर बंधे हुए थे। फिर उस लडकी के पेर खोलकर उसे ले गए थे। उक्त साक्षी के द्वारा अभियोजन प्रकरण का समग्र रूप से समर्थन न करने से अभियोजन के द्वारा उसे पक्षद्रोही घोषित किया गया है। साक्षी पुत्तूसिंह यादव अ0सा0 6 के द्वारा भी केवल यह बताया गया है कि जब शोरगुल सुनकर वहाँ पहुँचा तो उसने देखा कि पीडिता कपडा ओढ़कर बैठी हुई थी। उक्त साक्षी को अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है।

18. अभियोजन साक्षी सुभ्रता त्रिपाठी तत्कालीन नायब तहसीलदार मौं जिनके द्वारा पीडिता का मरणाशन्न कथन प्र.पी. 5 का लेखबद्ध करना और उसके बी से बी भाग पर अपने हस्ताक्षर होना बताया है तथा कथन समाप्त होने पर डॉक्टर द्वारा कथन पीडिता के कथन देने हेतु सक्षम होने की टीप लगाई थी जो प्र.पी. 5 है जिसके सी से सी भगा पर उनके हस्ताक्षर हैं।

19. प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखक एवं विवेचना अधिकारी डी.एस.वैश 10 के द्वारा फरियादी अशोक कुमार जैन की लिखित आवेदनपत्र प्र.पी. 1 के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 2 लेखबद्ध करना जिस पर उनके एवं सूचनाकर्ता अशोक कुमार जैन के हस्ताक्षर होना प्रमाणित किया गया है। इसके अतिरिक्त फरियादी अशोक जैन की निशादेही पर घटना स्थल का नक्शा मौका प्र.पी. 3 तैयार करना, पीडिता के कथन कार्यपालन मजिस्ट्रेट से कराया जाना। सूचनाकर्ता अशोक कुमार जैन के पेश करने पर दुप्पटा सफेद रंग का जो कि पीडिता का होना बतायाथा जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र.पी. 4 तैयार करना। इसके अतिरिक्त साक्षी अशोक कुमार जैन एवं पीडिता, साक्षी श्रीमती बिमलेश जैन, गगन एवं शांतीलाल के कथन लेखबद्ध किये थे तथा आरोपीगण अशोक, गेंदालाल, गुड्डी, गीता एवं प्रदीप उर्फ नाना को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी. 11, 12, 13, 14 एवं 15 तैयार किए थे।

20. घटना की पीडिता अ0सा0 2 के प्रतिपरीक्षण उपरांत उसके कथनों का जहाँ तक प्रश्न है। इस संबंध में साक्षी के द्वारा कंडिका 6 में बताया गया है कि उसने नहीं देखा था कि जो दोनों आदमी आए थे वह कहाँ से और किसी प्रकार से आए थे। जो आदमी आए थे वह मुँह नहीं ढके हुए थे। आदमियों को वह ठीक ढंग से नहीं पहिचान पाई थी, क्योंकि वह नींद में थी। स्वतः मैं उसने कहा कि उसने आवाज पहिचानी थी। जो दो आदमी जिन्हें वह बता रही है उसका हाथ पकड कर ले गए थे और वह जीने में चली गई थी फिर उसके द्वारा कहा गया उसे याद नहीं है कि उसे कैसे ले गये थे। प्रतिपरीक्षण कंडिका 9 में उसके द्वारा बताया गया कि अशोक धोबी का मकान करीब उनकी छत से 2-3 फिट नीचा पड़ेगा। वह

अपनी छत से अशोक धोबी की छत पर कूद गई थी। फिर उसके द्वारा कहा गया कि जो आदमी आए थे उन्होंने गिरा दिया था। जब उसे छत से नीचे पटका गया तो उस समय वह बोल नहीं पा रही थी इस कारण वह चिल्लाई नहीं थी। जो दो आदमी उसे लाए थे वह दोनों आदमी नीचे चले गए थे। उसे याद नहीं है कि उसका कपडा से मुँह बांधा था अथवा नहीं। फिर स्वतः में उसके द्वारा कहा गया कि उसके मुँह पर कपडा बांधा था उसके हाथ पेर नहीं बांधे थे, वह होश में थी जबकि उसके द्वारा इसी कंडिका में बताया गया है कि उसकी स्थिति पूरी तरह बेहोशी की न होकर अर्द्धचेतन्य अवस्था में थी। कंडिका 10 में उसके द्वारा बताया गया है कि अशोक धोबी के मकान की छत पर जाने के लिए जीना है। उसे जीने से नीचे नहीं ले जाया गया था, बल्कि आए हुए आदमी उसे टंकी के रास्ते से नीचे ले गए थे। वह अशोक की गैलरी में पहुँची थी। वह नहीं बता सकती कि उसे किस तरह से नीचे ले गए थे और उसे यह भी याद नहीं कि अशोक धोबी की छत से उसे नीचे पटक दिया था। इसी कंडिका में इस बात को स्वीकार किया है कि वह गैलरी से छूटकर भागी थी और आरोपी गेंदालाल की खटिया के नीचे छिप गई थी। उस समय उजेली रात होना साक्षी के द्वारा स्वीकार किया है। जो आदमी उसे उठाकर ले गए थे उसके साथ किसी प्रकार की कोई गंदी हरकत नहीं की गई थी एवं उसे वस्त्र विहीन नहीं किया गया था और न ही उसके वस्त्र उतारे गए थे। जब उसे बाहर चबूतरे पर ले गए तब वह चिल्लाई थी और चबूतरे पर उसके साथ मारपीट हुई थी और उस समय मोहल्ले वाले 8-10 लोग आ गए थे। मारपीट करने वालों में दो लोगों के अलावा अन्य कोई नहीं था।

21. घटना की पीडिता अ0सा0 2 के कथन का जहाँ तक प्रश्न है, इस संबंध में उसके द्वारा अपने साक्ष्य कथन के मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि जब वह बाथरूम करने के लिए कमरे से बाहर आई तो वहाँ पर दो आदमी जैसे दिखे और उनकी आवाज सुनी थी। उक्त दो आदमी जिसे कि वह आकर ले जाना बता रही है उनकी कोई पहिचान स्पष्ट रूप से पीडिता के द्वारा नहीं की गई है। केवल यह बताया गया है कि दो आदमी जैसे दिखे थे। इस संबंध में प्रतिपरीक्षण कंडिका 6 में भी उसके द्वारा यह बताया गया है कि आदमियों को वह ठीक ढंग से नहीं पहिचान पाई थी, क्योंकि वह नींद में थी। यद्यपि उसके द्वारा स्वतः में यह कहा गया है कि आवाज पहिचानी थी, किन्तु आवाज आरोपीगण की थी या अन्य किसी की थी ऐसा उसके द्वारा कहीं भी स्पष्ट नहीं किया गया है। यद्यपि यह संभव है कि व्यक्ति की पहिचान आवाज से की जा सके, किन्तु इस संबंध में यह भी महत्वपूर्ण है कि साक्षिया के द्वारा कंडिका 4 में स्पष्ट रूप से यह स्वीकार किया है कि आरोपी प्रदीप उर्फ नाना को वह घटना के पहले से नहीं जानती है। ऐसी दशा में जबकि किसी व्यक्ति को घटना के पहले से वह

जानती नहीं है ऐसे व्यक्ति की आवाज से पहिचान की जा सकती है ऐसा कदापि स्वभाविक नहीं लगता।

22. साक्षिया के द्वारा प्रतिपरीक्षण में यह भी बताया गया है कि जो आदमी आए थे वह मुँह नहीं ढके थे। इस बात को भी स्वीकार किया है कि घटना के समय उजेली रात थी। ऐसी दशा में जबकि घटना के समय आए हुए व्यक्ति जो कि उसे ले गए थे वह मुँह नहीं ढके थे, पीडिता के द्वारा उन्हें देखने एवं पहिचानने का पूरा अवसर था। यह भी उल्लेखनीय है कि आरोपी अशोक व उसके परिवार के अन्य सदस्य पीडिता के बिल्कुल पड़ोसी है। इस परिप्रेक्ष्य में आरोपी अशोक को वह अच्छी तरह से पहिचान सकती है, किन्तु पीडिता के द्वारा कहीं भी यह स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है कि जो आदमी वह आना बता रही है उसमें आरोपी अशोक धोबी भी शामिल था। अन्य आरोपी प्रदीप उर्फ नाना की भी कोई पहिचान उसके द्वारा नहीं की गई है। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि आरोपी प्रदीप उर्फ नाना के घटना में प्रारंभ से ही मौजूद होने अथवा उसके द्वारा पीडित को उसके कमरे से लाने के घटनाक्रम में कहीं भी घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट अथवा पीडिता के पुलिस को दिए गए धारा 161 के कथन प्र.डी. 2 एवं कार्यपालन मजिस्ट्रेट को दिए गए मरणाशन्न कथन प्र.पी. 5 में कहीं भी आरोपी प्रदीप उर्फ नाना के मौजूद होने और उसके द्वारा घटना कारित किये जाने बावत् कोई भी तथ्य नहीं आया है। इस संबंध में यह महत्वपूर्ण है कि पीडिता के द्वारा सर्वप्रथम न्यायालय में हुए कथन में ही दो आदमियों के उसके कमरे के बाहर आने और उसे ले जाने के संबंध में बताया जा रहा है जो कि अभियोजन प्रकरण में पीडिता के द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में महत्वपूर्ण इम्प्रूवमेंट किया जाना स्पष्ट होता है। इस प्रकार घटना की पीडिता के कथन के आधार पर सर्वप्रथम उन दो व्यक्तियों जो कि उसे उसके कमरे के बाहर से उठाकर ले जाना वह बता रही है उन दो व्यक्तियों की कोई पहिचान ही पीडिता के कथन से ही स्थापित नहीं हो सकी है।

23. इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि जो दो आदमी पीडिता उसके घर में आना बता रही है वह दोनों आदमी किस प्रकार से उसके कमरे के पास पहुँचे ऐसा कहीं भी स्पष्ट नहीं होता है। इस संबंध में पीडिता के द्वारा प्रतिपरीक्षण कंडिका 6 में स्वीकार किया है कि उनके मकान के मैन गेट पर चैनल लगा हुआ है और उसमें रात को ताला डाल देते हैं और इस बात को भी स्वीकार किया है कि बाहर के जीने में भी गेट लगा है उसमें भी रात के समय ताला डाल देते हैं जिससे कि कोई घर में घुस न सके तथा वह यह नहीं देख पाई कि दोनों आदमी कहाँ से और किस प्रकार से आए थे। फिर वह कह रही है कि नीचे के ऑगन में जहाँ बाथरूम बगैरह है वहाँ से आए थे। जो आदमी आए थे वह उसका हाथ पकड़ कर ले

गए थे और वह जीने में चली गई थी। फिर उसके द्वारा कहा गया है कि उसे सही याद नहीं है कि उसे कैसे ले गए थे। उसका मुँह बंद कर लेने के संबंध में भी साक्षिया के द्वारा पूछे जाने पर परस्पर विरोधाभाषी बातें बताई जा रही हैं। एक तरफ तो उसके द्वारा यह बताया जा रहा है कि उसका मुँह आंगन में ही बंद कर दिया गया था और दूसरी तरफ कंडिका 9 में यह बताया है कि उसे ध्यान नहीं कि उसका मुँह कपड़े से बांधा था या नहीं और उसे यह भी ध्यान नहीं है कि उसका मुँह जब बांधा था उसको यह पूछे जाने पर कि वह चिल्लाई और उसने किसी को आवाज नहीं लगाई थी। साक्षी यह कह रही है कि उसका मुँह कपड़े से बंधा था।

24. इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि वह उसका मुँह बंद कर उसकी छत पर ले जाना और उसकी छत से आरोपी अशोक धोबी की छत पर उसे दो व्यक्तियों के द्वारा पटक देना बता रही है, किन्तु प्रतिपरीक्षण में कंडिका 9 में वह बता रही है कि वह अपने छत से अशोक धोबी की छत पर कूद गई थी। आरोपी अशोक धोबी का मकान उसकी छत से करीब 2-3 फिट नीचा पड़ेगा। दो आदमियों के द्वारा उसे उसकी छत से 2-3 फिट नीचे गिराने से वह वेहोशी की हालत में आ जाए ऐसा भी स्वभाविक नहीं लगता। इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि अशोक धोबी की छत पर दो लोगों के द्वारा उसे पटक देने का कथन साक्षिया के द्वारा कहीं भी अपने पूर्ववर्ती पुलिस को दिए गए धारा 161 के कथन अथवा मरणाशन्न कथन प्र.पी. 5 के दौरान भी नहीं बताया गया है। प्रथम बार उक्त बात वह न्यायालय के समक्ष बता रही है। इस प्रकार इस बिन्दु पर साक्षिया के कथन में इम्प्रूवमेंट आना स्पष्ट है। पीडिता एक तरफ अशोक धोबी की छत पर कूद जाना बता रही है और दूसरी तरफ यह कह रही है कि दो व्यक्तियों ने उसे पटक दिया था। 2-3 फिट ऊँचाई से पटकने से साधारणतः कोई व्यक्ति वेहोश हो जाए ऐसा भी नहीं माना जा सकता। इस संबंध में प्रतिपरीक्षण में उसके द्वारा यह बताया जा रहा है कि उसकी स्थिति पूर्ण वेहोशी की नहीं थी वह अर्द्धचेतन्य अवस्था में थी। उसे यह याद नहीं है कि वह छत पर कितनी देर पड़ी रही। छत पर से उसके द्वारा किसी को कोई आवाज दी गई हो ऐसा भी दर्शित नहीं होता है। जबकि उसका मुँह छत पर जाते समय बंधा नहीं था जैसा कि उसके साक्ष्य से ही स्पष्ट होता है। कंडिका 11 में उसके द्वारा बताया गया है कि उसको अशोक धोबी के मकान में छत पर जाने के लिए जीना है और उसे दो व्यक्ति जीने से नीचे ले गए थे और अशोक की गैलरी में पहुँची थी। उसे याद नहीं है कि जो दो आदमी उसे नीचे ले गए थे वह किस तरफ से ले गए थे। इस बात को स्वीकार किया है कि गैलरी से छूटकर वह भागी तो आरोपी गेंदालाल की खटिया के नीचे छिप गई थी। इस प्रकार कथित रूप से उसे नीचे ले जाने वाले दो व्यक्तियों

में आरोपीगण या कोई आरोपी भी था ऐसा भी उसके साक्ष्य कथन से स्पष्ट नहीं होता है। पीडिता के द्वारा प्रतिपरीक्षण कंडिका 13 में इस बात को स्वीकार किया है कि जो दो लोग घटना करने आए थे उन्होंने उसे वस्त्रविहीन नहीं किया था और न ही उसके वस्त्र उतारे थे। इस प्रकार पीडिता के वस्त्र घटना के समय उतारे जाने अथवा उसे वस्त्रविहीन किए जाने के संबंध में भी पीडिता के द्वारा उसके साथ ऐसी कोई घटना होने से इंकार किया गया है।

25. उपरोक्त संबंध में फरियादी/रिपोर्टकर्ता अशोक कुमार जैन अ0सा0 1 के द्वारा प्रतिपरीक्षण में यह बताया गया है कि वह अपने मेन गेट पर ताला लगाकर सोता है एवं घटना दिनांक को पीडिता जिस कमरे में सोई थी उस कमरे का दरवाजा आंगन में खुलता है और जहाँ वह व उसका बच्चा गगन सोया था उसका दरवाजा भी आंगन में खुलता है। साक्षी ने कंडिका 10 में बताया है कि उसकी बच्ची ने उसे यह बताया था कि ऊपर के जीने से उसे बाहर ले जाया गया था, लेकिन उसने लडकी से यह नहीं पूछा कि उसे कौन ले गया था और कंडिका 11 में उसके द्वारा बताया गया है कि उसे पीडिता ने नहीं बताया था कि वह बाहर किस के साथ गई थी या वह स्वेच्छया से गई थी। इस प्रकार उक्त साक्षी के कथन के आधार पर भी वर्तमान में विचारित किए जा रहे कोई आरोपी फरियादी के मकान में प्रवेश कर पीडिता को उठाकर ले गए हों इस तथ्य की पुष्टि नहीं होती है।

26. साक्षी शांतीलाल जैन अ0सा0 9 जिसने कि पीडिता के पिता को पीडिता के आरोपी अशोक के यहाँ होने के संबंध में सूचना दी थी तथा साक्षी पुत्तूसिंह यादव अ0सा0 6 जो कि घटनास्थल पर आना बताया जा रहा है। उक्त दोनों ही साक्षियों के द्वारा अभियोजन प्रकरण का जैसा कि प्रकरण बताया जा रहा है उसका कोई समर्थन नहीं किया गया है। इस संबंध में साक्षी शांतीलाल अ0सा0 9 जो कि प्रकरण में एक महत्वपूर्ण साक्षी है के द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में यह बताया गया है कि अशोक धोबी ने उसे टेलीफोन से बताया था कि अशोक जैन की लडकी उनके घर पर आ गई है और फिर उसने इस बारे में अशोक कुमार जैन को बताया था और पुत्तूसिंह यादव को लेकर अशोक धोबी के घर गए थे जहाँ कि पीडिता के पेरे बंधे दिखे थे और चबूतरे पर बैठी थी। इस संबंध में उक्त साक्षी को अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, किन्तु इस दौरान भी उसके कथनों में कोई समर्थन नहीं किया है। प्रतिपरीक्षण में उसके द्वारा बताया गया है कि अशोक कुमार जैन की छत से उतरकर वह अशोक जैन और पुत्तूसिंह यादव अशोक धोबी के घर पर गए थे। पीडिता के पेरे किस के द्वारा बांधे गए थे इस बारे में वह नहीं बता सकता।

27. इसी प्रकार साक्षी पुत्तूसिंह यादव अ0सा0 6 के द्वारा भी अभियोजन प्रकरण का इस संबंध में कोई समर्थन नहीं किया गया है। इस बिन्दु पर फरियादी अशोक कुमार जैन

के द्वारा कंडिका 10 में इस बात को स्वीकार किया है कि घटनास्थल पर उसकी, उसकी लड़की के साथ बातचीत नहीं हुई थी। लड़की से सुबह पांच बजे उसकी बात होना भी बता रहा है। कंडिका 12 में स्पष्ट रूप से इस बात को स्वीकार किया है कि उसकी बच्ची के साथ कोई भी मारपीट उसके सामने नहीं हुई थी। इस प्रकार उक्त साक्षी के कथन में भी कहीं भी वर्तमान में विचारित किए जा रहे आरोपीगण के द्वारा पीड़िता के साथ मारपीट किया जाने के तथ्य की पुष्टि नहीं होता है। अभियोजन साक्षी बिमलेश जैन अ0सा0 3 जो कि पीड़िता की माँ के द्वारा भी बताया गया है कि उसकी बच्ची ने उसे कोई बात नहीं बताई थी। इस प्रकार उक्त साक्षिया को अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही घोषित नहीं किया गया है। साक्षी गगन जैन अ0सा0 4 के द्वारा भी इस संबंध में अभियोजन प्रकरण का कोई समर्थन नहीं किया गया है।

28. इस संबंध में बचाव पक्ष के द्वारा अपने बचाव में यह आधार लिया गया है कि पीड़िता मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गई थी और उसे उसके पिता के द्वारा नींद की Alprox 25 mg की गोली दी गई थी। पीड़िता जिसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी और जिसे गोलियों का असर था वह रात को आरोपी अशोक धोबी की छत से होकर उनके आंगन में आ गई थी और जब पीड़िता के घर वालों को पता चला कि वह उनके घर में चली गई है तो वह उसे घर के मैन गेट से बापस ले जाने लगे तो अशोक धोबी के द्वारा ले जाने से मना किया गया और इसी कारण उसके विरुद्ध रिपोर्ट की गई है। इस संबंध में बचाव पक्ष के द्वारा स्पष्ट रूप से पीड़िता अ0सा0 2 तथा फरियादी अशोक कुमार जैन अ0सा0 1 को उक्त संबंध में प्रतिपरीक्षण में सुझावस भी दिए गए हैं। इस बिन्दु पर अभियोजन साक्षी गगन जैन उर्फ आदित्य जैन अ0सा0 4 जो कि पीड़िता का सगा भाई है के प्रतिपरीक्षण में आई हुए कथन महत्वपूर्ण हैं जिसमें कि उसके द्वारा स्पष्ट रूप से इस बात को स्वीकार किया है कि उसकी बहन पीड़िता मानसिक रूप से विक्षिप्त थी और इस बात को भी स्वीकार किया है कि उसकी बहन इसी कारण से गोलियाँ खाती थी। उसकी बहन मानसिक रूप से परेशान थी और इस बात को भी स्वीकार किया है कि गोलियों के असर से उसकी बहन (पीड़िता) नसे में सो गई थी। इस बात को भी स्वीकार किया है कि वह पीड़िता को लेकर अशोक धोबी के घर होते हुए अपने घर ले जा रहा था तो अशोक धोबी ने कहा कि उसके गेट से नहीं जाओगे अपने दरवाजे से लेकर जाओ और इसी बात पर उसके पिता और अशोक धोबी का मुँहवाद हो गया था।

29. इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट जो कि लिखित रूप से फरियादी अशोक कुमार जैन अ0सा0 1 के द्वारा थाना मौ में दी गई है उसमें स्पष्ट रूप से उसके द्वारा लड़की को मानसिक रूप से परेशान रहने एवं उसे Alprox 25

mg की गोली देने के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट में उल्लेख आया है। उक्त साक्षी जिसके संबंध में साक्ष्य यह भी आया है कि वह डॉक्टर का काम करता है के द्वारा अपने कथन में यह स्वीकार किया है कि Alprox 25 mg गोली का असर 6 से 8 घण्टे तक बना रहता है। लडकी को उसने 6 बजे Alprox 25 mg की गोली दी थी। यद्यपि इस संबंध में पीडिता के द्वारा यह बताया जा रहा है कि उसे दस्त की गोली दी गई थी, किन्तु उसके पिता के द्वारा जिन्होंने कि गोली दी थी उसे गोली देने तथा उसके भाई गगन के द्वारा भी उसे गोलियाँ दी जाने की बात को और इस कारण उसके नशे में होने की बात को स्वीकार किया है। उक्त परिप्रेक्ष्य में जबकि पीडिता के द्वारा उसे ले जाने वाले लोगों की न तो कोई पहिचान की जा सकी है और न ही उसके द्वारा यह बताया जा सका है कि किस प्रकार से उसे उसके घर से अशोक धोबी के घर में ले जाया गया तथा पीडिता के द्वारा इस तथ्य को भी साफतौर से इंकार किया गया है कि उसे निरवस्त्र नहीं किया गया। ऐसी दशा में बचाव पक्ष की ओर से लिये गए आधार से इंकार नहीं किया जा सकता कि पीडिता जो कि मानसिक रूप से विक्षिप्त थी और जिसे नींद की गोलियाँ दी गई थी और जिनके असर से वह वेहोशी की हालत में थी इसी कारण वह रात को अपनी छत पर से बगल के मकान में स्थिति आरोपी अशोक धोबी के मकान में चली गई थी। इस परिप्रेक्ष्य में पीडिता को अयुक्त संभोग करने के लिए विवश या विलुब्ध करने के आशय से या यह संभाव्य जानते हुए कि उसे विवश या विलुब्ध किया जा सकता है उसका अपहरण आरोपी अशोक के द्वारा या किसी अन्य आरोपी के द्वारा किया जाने तथा घटना दिनांक को आरोपी अशोक या किसी अन्य आरोपी के मकान में या फरियादी/पीडिता के मकान में प्रवेश कर प्रच्छन्न गृह अतिचार कारित किया अथवा पीडिता की लज्जा भंग करने के आशय से उसके कपडे उतारकर या उसे नग्न होने के लिए विवश करने के संबंध में अभियोजन प्रकरण की प्रमाणिकता सिद्ध होनी नहीं पाई जाती है।

30. जहाँ तक घटना दिनांक को घटनास्थल पर पीडिता के साथ मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित किए जाने एवं पीडिता के पिता के आने पर उसके पिता के साथ भी मारपीट कर उपहति कारित करने एवं उसे सदोश परिरोध कारित करने का प्रश्न है। इस संबंध में पीडिता अ0सा0 2 के द्वारा अपने साक्ष्य कथन में यह बताया है कि उसके साथ मारपीट की घटना की गई थी उस समय मारपीट करने वालों को उसने पहिचान लिया था जो कि आरोपी अशोक धोबी और प्रदीप उर्फ नाना थे, शेष वहाँ पर खड़े दिखे थे। इस प्रकार पीडिता ने स्पष्ट रूप से उसके साथ मारपीट करने वालों में आरोपी अशोक धोबी तथा प्रदीप उर्फ नाना के द्वारा उसके साथ मारपीट किए जाने एवं उसे सदोष परिरोध की घटना कारित किया जाना स्पष्ट रूप से बताया गया है।

31. इस संबंध में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के साक्ष्य कथन तथा साक्षियों को बचाव पक्ष के द्वारा प्रतिपरीक्षण में दिए गए सुझावों से यह तथ्य प्रमाणित होता है कि घटना दिनांक को पीडिता रात के सयम आरोपी अशोक धोबी के घर पर पहुँच गई थी। यद्यपि वह उसके घर में किस प्रकार से पहुँची इस बिन्दु पर पूर्ववर्ती विवेचना के परिप्रेक्ष्य में आरोपीगण के द्वारा उसे ले जाया जाना प्रमाणित नहीं हुआ है, किन्तु पीडिता आरोपी अशोक धोबी के घर पर थी और वहीं से उसे बापस उसके घर लाया गया था, यह आयी हुई साक्ष्य से स्पष्ट है। पीडिता के साथ मारपीट होने के संबंध में उसके द्वारा प्रतिपरीक्षण में यह बताया गया है कि बाहर चबूतरे पर भी उसके साथ मारपीट की गई थी और मारपीट करने वाले दो लोग थे। यद्यपि कंडिका 5 में साक्षिया ने यह बताया है कि जिन दो लोगों के द्वारा उसे चोट पहुँचाकर मारपीट करना वह बता रही है उन दो आरोपियों ने किस किस ने उसे कहाँ-कहाँ चोट पहुँचाई थी वह नहीं बता सकती, किन्तु मात्र इस आधार पर कि पीडिता या नहीं बता पा रही है कि किस-किस के द्वारा उसे कहाँ-कहाँ चोट पहुँचाई गई इस संबंध में उसके द्वारा किए गए कथन को अविश्वसनीय मानने का कोई आधार नहीं हो सकता। निश्चित तौर से जब मारपीट की घटना हो रही होती है तो यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि पिटने वाला व्यक्ति यह गिनती करता रहे कि किस किस आदमी के द्वारा उसे कहाँ कहाँ चोट पहुँचाई जा रही है। इसी कंडिका में साक्षी ने इस सुझाव से साफतौर से इंकार किया है कि आरोपी प्रदीप उर्फ नाना ने उसे कोई चोट नहीं पहुँचाई थी और कंडिका 13 में साफतौर से इस सुझाव से इंकार किया है कि आरोपी अशोक धोबी के द्वारा उसके साथ कोई मारपीट नहीं की गई थी।

32. आरोपी अशोक धोबी एवं आरोपी प्रदीप उर्फ नाना के द्वारा पीडिता को मारपीट करने के संबंध में पीडिता के द्वारा किए गए कथन की विश्वसनीयता का जहाँ तक प्रश्न है, इस संबंध में यद्यपि पीडिता पूर्ववर्ती विवेचना में कुछ बिन्दुओं पर उसके द्वारा किए गए कथन सत्य होना नहीं पाया गया है, किन्तु मात्र इस आधार पर कि कुछ बातों के संबंध में पीडिता के कथन को सत्य होना नहीं पाया गया है, उक्त साक्षी की सम्पूर्ण साक्ष्य को झूठा मानने का कोई आधार नहीं हो सकता। “Falsus in uno, Falsus in omnibus” “एक बात में असत्य तो सब बात में असत्य” का सिद्धांत भारत में लागू नहीं होता। किसी साक्षी के कथन को न्यायालय के द्वारा एक बिन्दु पर विश्वास योग्य नहीं पाया गया है तो इससे उसके सम्पूर्ण साक्ष्य कथन पर अविश्वास नहीं किया जाना चाहिए। न्यायालय का कर्तव्य है कि वह अनाज को भूसे से पृथक करे। जैसा कि इस संबंध में **2007 सी.आर.एल.जे. 1671 जैकी वि० स्टेट, कालीगुरम पदमाराय वि० स्टेट ऑफ ऑन्ध्र प्रदेश ए.आई.आर.**

2007 एस.सी. 1299 में अभिधारित किया गया है। इस परिप्रेक्ष्य में पीडिता के द्वारा उसके साथ मारपीट की घटना जो कि आरोपी अशोक एवं प्रदीप उर्फ नाना के द्वारा करने के संबंध में उसके द्वारा किया गया कथन को अविश्वसनीय मानने और इस आधार पर उसके सम्पूर्ण साक्ष्य को झूठा मानने का आधार नहीं हो सकता।

33. जहाँ तक पीडिता के साथ मारपीट की घटना में उपरोक्त आरोपी अशोक धोबी एवं प्रदीप उर्फ नाना के अतिरिक्त अन्य विचारित किये जा रहे सहआरोपीगण गेंदालाल, गुड्डी और गीता के शामिल होने या उनके द्वारा भी प्रकार की कोई घटना कारित किये जाने का प्रश्न है इस संबंध में पीडिता के कथन में कहीं भी स्पष्ट रूप से उनके द्वारा घटना में भाग लेने अथवा किसी प्रकार से सहयोग करने के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं आई है।

34. घटनास्थल पर पीडिता के साथ मारपीट होना और वहाँ आरोपी अशोक धोबी के अतिरिक्त आरोपी प्रदीप उर्फ नाना के भी मौजूद होने की पुष्टि अभियोजन साक्षी अशोक कुमार जैन अ0सा0 1 जो कि घटना का रिपोर्टकर्ता है और पीडिता का पिता भी है के कथन से भी होती है जिनके द्वारा अपने साक्ष्य कथन में यह बताया है कि वह अपनी लडकी (पीडिता) को लेने के लिए आरोपी अशोक के घर पर गया तो अशोक धोबी और प्रदीप यादव के द्वारा उसे लडकी को लाने से रोका गया और उसका लडका और शांतीलाल जैन जैसे तैसे लडकी को लाए। इस दौरान प्रदीप यादव ने उसके साथ भी मारपीट कर दी थी जिससे उसके बाएं अंगूठे में फ्रैक्चर हो गया था और कमर एवं दाहिनी कोहनी में भी चोटें आई थी।

35. साक्षी अशोक जैन के द्वारा किए गए उक्त कथन का प्रतिपरीक्षण उपरांत जहाँ तक प्रश्न है। प्रतिपरीक्षण उपरांत उसके कथनों में कोई भी तात्त्विक या गंभीर प्रकार का विरोधाभास अथवा बिसंगति आनी दर्शित नहीं होती जिससे कि उसकी विश्वसनीयता प्रभावित होती हो। आरोपी अशोक की मौजूदगी भी उसके साक्ष्य कथन से प्रमाणित होती है और आरोपी प्रदीप उर्फ नाना जो कि उसी कस्बे का रहने वाला है उससे साक्षी पूर्व से परिचित होना स्वभाविक है। आरोपी प्रदीप को साक्षी पहले से नहीं पहिचानता हो इस संबंध में कोई सुझाव उसे नहीं दिया गया है। साक्षी के द्वारा स्पष्ट रूप से आरोपी प्रदीप उर्फ नाना के द्वारा उसके साथ मारपीट करने एवं उसे मारपीट कर चोटें पहुँचाई जाने तथा इस दौरान आरोपी अशोक की भी मौजूदगी होने के संबंध में स्पष्ट साक्ष्य दी है।

36. घटना में पीडिता अ0सा0 2 को चोटें आकर फ्रैक्चर होना तथा फरियादी अशोक जैन को भी चोटें आकर फ्रैक्चर होना चिकित्सीय साक्ष्य के आधार पर भी सम्पुष्ट है जो कि इस संबंध में डॉक्टर हरीस हाशवानी जिन्होंने कि पीडिता तथा आहत अशोक जैन का चिकित्सीय परीक्षण किया है के द्वारा स्पष्ट रूप से इनके शरीर पर चोटें मौजूद होना बताया

है। पीडिता के शरीर पर चोटों के कई निशान हैं। प्रतिपरीक्षण में चिकित्सक डॉक्टर हरीश हासवानी अ0सा0 5 को सुझाव दिये जाने पर उनके द्वारा साफतौर से इस बात से इंकार किया है कि पीडिता को आई हुई चोटें गिरने से आ सकती है। पीडिता को जो चोटें आई हैं उनकी प्रकृति के अनुसार भी उक्त चोटें गिरने से आना संभावित नहीं लगती है, बल्कि मारपीट से ही उक्त चोटें आ सकती हैं। पीडिता को चोटों के कारण अस्थिभंग होना डॉ0 रितु सोनाद अ0सा0 11 के कथन से स्पष्ट है तथा आहत अशोक कुमार जैन को अस्थिभंग होना डॉ0शिवसिंह बनेरिया अ0सा0 8 के कथन से स्पष्ट है। उनके प्रतिपरीक्षण उपरांत उनके कथनों में कोई विपरीत तथ्य नहीं आया है। आरोपीगण प्रदीप उर्फ नाना तथा अशोक धोबी के द्वारा पीडिता के साथ एवं पीडिता को लाने हेतु गए उसके पिता अशोक कुमार जैन के साथ मारपीट उपरोक्त घटना अचानक किसी प्रकोपन दिए जाने के फलस्वरूप की गई हो ऐसा कहीं दर्शित नहीं होता है, बल्कि उनके द्वारा मारपीट की घटना स्वेच्छया पूर्वक कार्य करते हुए की जानी प्रकरण में आई हुई समग्र साक्ष्य एवं प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों से स्पष्ट होता है। पीडिता अ0सा0 2 ने अपने साक्ष्य कथन में बताया है कि उसके हाथ पर बंधे हुए थे और वह दुपट्टा ओढ़कर बाहर बैठी हुई थी।

37. पीडिता को सदोष परिरोध कारित करने का जहाँ तक प्रश्न है, इस संबंध में अभियोजन साक्षी शांतीलाल जैन अ0सा0 9 जो कि घटनास्थल पर सबसे पहले पहुँचना बताया जा रहा है के द्वारा बताया गया है कि आरोपी अशोक के घर में पीडिता के परे बंधे हुए थे जो कि उसके मकान में स्थित चबूतरे पर बैठी थी और उसका परे बंधा हुआ था। इस संबंध में साक्षी गगन जैन अ0सा0 4 जो कि सूचना मिलने पर घटनास्थल पर गया था उसके द्वारा भी बताया गया है कि उसकी बहन(पीडिता) के परे बंधे हुए थे तथा आरोपी प्रदीप उर्फ नाना और अशोक धोबी उसकी बहन को लाने से रोक रहे थे और इस संबंध में घटना के फरियादी/रिपोर्टकर्ता अशोक कुमार जैन के द्वारा भी अपने कथन में बताया है कि उसकी लडकी (पीडिता) को घर लाने से अशोक धोबी और प्रदीप यादव के द्वारा रोका गया था और जैसे तैसे उसका लडका और शांतीलाल जैन उसकी लडकी को लेकर आए थे।

38. इस प्रकार घटना दिनांक को आरोपी प्रदीप उर्फ नाना यादव तथा आरोपी अशोक धोबी के द्वारा पीडिता को जाने से रोककर उसे सदोष परिरोध कारित किये जाने का तथ्य भी आई हुई साक्ष्य के आधार पर प्रमाणित होता है। उक्त आरोपीगण प्रदीप उर्फ नाना के द्वारा आहत अशोक कुमार जैन के साथ मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित करना एवं इस दौरान अशोक धोबी के भी उक्त मारपीट की घटना में शामिल होना भी अभियोजन साक्ष्य के आधार पर प्रमाणित होता है। अन्य सहआरोपीगण गेंदालाल, गीता और गुड्डी के संबंध में

पीडिता या उसके पिता अशोक जैन को मारपीट किए जोन एवं पीडिता को सदोश परिरोध कारित किये जाने के संबंध में अभियोजन प्रकरण की प्रमाणिकता सिद्ध नहीं होती है।

बिन्दु क्रमांक 8:-

39. घटना दिनांक को आरोपीगण या किसी आरोपी के द्वारा फरियादी अशोक कुमार जैन को संत्राश कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्राश कारित करने के संबंध में अभियोजन प्रकरण का जहाँ तक प्रश्न है। इस बिन्दु पर फरियादी अशोक कुमार जैन के द्वारा अपने साक्ष्य कथन में बताया गया है कि आरोपी प्रदीप उर्फ नाना के द्वारा उसे धमकी दी गई कि उसे जान से खत्म कर देगे जिससे वह रात को रिपोर्ट लिखाने नहीं जा पाया। सुबह रिपोर्ट लिखाने के लिए गया था। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी इस बात को स्वीकार किया है कि रात ही के समय पुलिस जो गस्त में थी उसे रास्ते में मिली थी और उसने उन पुलिस वालों को पूरी घटना बताई थी। इस संबंध में बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्षी निहालसिंह अ0सा0 1 के द्वारा भी अपने साक्ष्य कथन में बताया है कि रात को गस्त के लिए आरक्षक मनोज कुमार एवं सैनिक सोवरन सिंह उस क्षेत्र में गए थे जहाँ कि फरियादी रहता है। इस संबंध में साक्षी गगन जैन जो कि फरियादी का पुत्र है के द्वारा भी यह प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि उसके सामने रात को पुलिस आ गई थी और उसके पिता ने रिपोर्ट की थी। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में जबकि रात को पुलिस वाले गस्त के दौरान आ गए थे फरियादी को किसी प्रकार का कोई भय रहा हो और उसे अभित्राश कारित हुआ हो यह तथ्य प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता। इस बिन्दु पर अभियोजन प्रकरण की प्रमाणिकता सिद्ध होनी नहीं पाई जाती है।

40. बचाव पक्ष अधिवक्ता ने अपने तर्क के दौरान मुख्य रूप से यह आधार लिया है कि पीडिता के साथ किसी प्रकार की कोई घटना घटित नहीं हुआ है, बल्कि पीडिता मानसिक रूप से बिक्षिप्त होने के कारण स्वयं रात को चलकर छत के रास्ते अशोक धोबी के घर में आने के दौरान गिर गई थी और उसे गिरने से चोटें आ गई थी। उसके घर पर आने की सूचना अशोक धोबी के द्वारा देने के उपरांत जब उसका पिता, भाई व अन्य लोग आए और मुख्य गेट के रास्ते से उसे ले जाने के लिए कहने लगे तो उन्हें मुख्य गेट से ले जाने से मना किया गया है इसी रंजिश के कारण आरोपीगण के विरुद्ध झूठी रिपोर्ट बाद में सोच समझकर एवं सलाह मसवरा कर की गई है। घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट तुरंत दर्ज न कराकर बिलम्ब से दर्ज कराई गई है।

41. बचाव पक्ष के द्वारा लिये गये उपरोक्त आधार का जहाँ तक प्रश्न है। घटना जो कि रात के 02 बजे के करीब घटित हुई है और घटना की रिपोर्ट उसी दिन दस बजे

थाना मौ में दर्ज कराई गई है। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 2 दर्ज कराने में बिलम्ब के संबंध में रात को आरोपीगण का डर होना बताया गया है। इस संबंध में यद्यपि घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने में कुछ बिलम्ब हुआ है, किन्तु मात्र इस आधार पर घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने में कुछ बिलम्ब हुआ है जबकि घटना के संबंध में पीडिता तथा घटना के अन्य आहत के स्पष्ट कथन है, प्रथम सूचना रिपोर्ट बिलम्ब से दर्ज होने मात्र के आधार पर सम्पूर्ण अभियोजन प्रकरण को अविश्वसनीय या बनावटी मानने का आधार नहीं हो कसता। जहाँ तक बचाव पक्ष के द्वारा आरोपियों को झूठा फंसाये जाने का प्रश्न है इस संबंध में कहीं भी कोई ऐसा तथ्य नहीं आया है कि आरोपीगण एवं फरियादी के मध्य पूर्व से किसी प्रकार की कोई रंजिश है जिस कारण उन्हें झूठा लिप्त किया जा रहा है। यद्यपि पीडिता के आरोपी के घर में पहुँचने के संबंध में कि किस प्रकार से वह पहुँची यह तथ्य अभियोजन साक्ष्य के आधार पर प्रमाणित नहीं है, किन्तु जब पीडिता आरोपी अशोक धोबी के घर पर थी उसके उपरांत उसके साथ मारपीट की घटना की जानी और उसे बचाने हेतु उसका पिता के आने पर उसके पिता के साथ भी मारपीट की घटना की जानी कदापि उचित नहीं मानी जा सकती और न ही वैधानिक दृष्टि से उनके साथ मारपीट करने का कोई अधिकार आरोपियों को प्राप्त था। इस प्रकार बचाव पक्ष के द्वारा लिया गया आधार प्रमाणित नहीं होता है।

42. उपरोक्त विवेचना एवं विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में अभियोजन प्रकरण आंशिक रूप से प्रमाणित होना पाया जाता है। अभियोजन प्रकरण के संबंध में यह प्रमाणित होता है कि आरोपी अशोक धोबी तथा प्रदीप उर्फ नाना के द्वारा पीडिता के साथ मारपीट कर उसे स्वेच्छया गंभीर उपहति कारित की तथा पीडिता को लाने हेतु जाने पर उसके पिता फरियादी अशोक कुमार जैन के साथ मारपीट कर उन्हें स्वेच्छया गंभीर उपहति कारित की तथा उक्त दोनों आरोपीगण के द्वारा पीडिता को सदोष परिरोध कारित किये जाने का तथ्य भी प्रमाणित होता है। जहाँ तक आरोपी अशोक के द्वारा पीडिता का अपहरण अयुक्त संभोग करने के लिए उसे विवश या बिलुब्ध किये जाने के आशय से किया जाने अथवा पीडिता के आवासीय गृह में प्रवेश कर प्रच्छन्न गृहअतिचार किये जाने तथा पीडिता की लज्जा भंग करने के आशय से उसके कपड़े उतारकर नग्न करने के संबंध में अथवा फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक संत्राश कारित किये जाने के संबंध में आरोप प्रमाणित होना नहीं पाया जाता है। आरोपी प्रदीप उर्फ नाना के संबंध में भी फरियादी को संत्राश कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी दिए जाने के संबंध में प्रकरण प्रमाणित नहीं होता है। शेष आरोपीगण गुड्डी, गीता और गेंदालाल के संबंध में अभियोजन प्रकरण की प्रमाणिकता किसी भी बिन्दु पर सिद्ध होनी नहीं पाई जाती है।

43. तदनुसार आरोपी अशोक धोबी एवं प्रदीप उर्फ नाना को भा०दं०वि० की धारा 325(दो काउंट), 342 भा०दं०वि० के अंतर्गत दोषसिद्ध ठहराया जाता है जबकि उक्त आरोपीगण को धारा 506बी भा०दं०वि० के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। आरोपी अशोक धोबी को धारा 366, 458, 354(ख) भा०दं०वि० के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। शेष आरोपीगण गुड्डी, गीता और गेंदालाल को धारा 325 बिकल्प में धारा 325/34, 342, 506 भाग-2 भा०दं०वि० के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

44. दोषसिद्ध ठहराए गए आरोपीगण के संबंध में दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु निर्णय अस्थाई रूप से स्थगित किया जाता है।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

(डी.सी.थपलियाल)

अपर सत्र न्यायाधीश

गोहद, जिला भिण्ड

45. आरोपी प्रदीप उर्फ नाना एवं अशोक धोबी जिन्हें कि धारा 325(दो काउंट), 342 भा०दं०वि० के आरोप के अंतर्गत दोषसिद्ध ठहराया गया है। उक्त आरोपीगण के संबंध में उनके अभिभाषक के द्वारा आपराधिक परवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ प्रदान किए जाने का निवेदन किया गया है। उपरौक्त संबंध में विचार किया गया। आरोपीगण के विरुद्ध प्रमाणित अपराध की प्रकृति एवं घटना के तथ्यों, परिस्थितियों को देखते हुए आरोपीगण को आपराधिक परवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ दिया जाना उचित नहीं है।

46. दण्ड के प्रश्न पर आरोपीगण प्रदीप उर्फ नाना एवं आरोपी अशोक धोबी के विद्वान अभिभाषक एवं अपर लोक अभियोजक को सुना गया। अपर लोक अभियोजक ने व्यक्त किया कि आरोपीगण के द्वारा किया गया अपराध जघन्य प्रकृति का है। आरोपीगण को विधि द्वारा प्रावधानिक समुचित दण्ड दिये जाने का निवेदन किया है।

47. उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। आरोपीगण के विरुद्ध प्रमाणित अपराध की प्रकृति एवं तथ्यों, परिस्थितियों को देखते हुए आरोपीगण अशोक धोबी एवं प्रदीप उर्फ नाना यादव प्रत्येक को धारा 325(दो काउंट) भा०दं०वि० के अपराध हेतु 2-2 वर्ष (दो-दो वर्ष) का सश्रम कारावास एवं 2000-2000/- (दो-दो हजार रुपए) रुपए के अर्थदण्ड एवं धारा 342 भा०दं०वि० के अपराध हेतु उक्त आरोपीगण को को 6-6 माह (छः-छः माह) का सश्रम कारावास एवं 500-500/- (पांच सौ-पांच सौ रुपए) रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किये जाने

का आदेश दिया जाता है। अर्थदण्ड अदा करने की दशा में उपरोक्त आरोपीगण को क्रमशः 6 माह व 01 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगताए जाने का आदेश दिया जाता है।

48. आरोपीगण को उक्त दोनों ही धाराओं के अंतर्गत प्रदत्त मूल सजाएं साथ-साथ भुगताए जाने का आदेश दिया जाता है। उक्त आरोपीगण के द्वारा प्रकरण की जाँच, अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक निरोध में बिताई गई अवधि उनकी मूल सजा से मुजरा की जाए। इस संबंध में धारा 428 दं.प्र.सं. का पृथक से प्रमाणपत्र तैयार किया जाए।

49. आरोपीगण के द्वारा अर्थदण्ड की राशि जमा करने पर अर्थदण्ड की राशि में से 4000/- रूपए प्रतिकर स्वरूप पीडिता को प्रदान किए जाए तथा 1000/- रूपए आहत अशोक कुमार जैन को प्रतिकर स्वरूप प्रदान किए जाने का आदेश दिया जाता है।

50. प्रकरण में जप्तशुदा एक दुप्पटा मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् नष्ट किया जाए।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
हस्ताक्षरित एवं घोषित किया गया ।

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

(डी0सी0थपलियाल)
अपर सत्र न्यायाधीश
गोहद, जिला भिण्ड

(डी0सी0थपलियाल)
अपर सत्र न्यायाधीश
गोहद, जिला भिण्ड